दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 12 जनवरी, 2023

रि.या.(सि.) 15117/2022

आरुषि मेहरा व अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री ऋषभ कपूर, अधिवक्ता।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री निधि रमन, सीजीएससी संग सुश्री जुबिन सिंह, भारत संघ हेतु अधिवक्ता।

कोरम:

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

<u>न्या. प्रतिभा एम. सिंह</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड माध्यम द्वारा की गई है।

2. यह वर्तमान याचिका याचीगण द्वारा दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 - उप-खंड मजिस्ट्रेट (डिफेंस कॉलोनी) को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे याचीगण को आवश्यक दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने एवं अपने विवाह को अनुष्ठापित करने हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने की अनुमति दें तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (*इसके बाद 'अधिनियम'*) के प्रावधानों के तहत इसे पंजीकृत करें।

3. याचिकाकर्ता सं. 1 - धर्म से हिंदू, कनाडा की नागरिक है। हालांकि, वह भारत की प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक है। याचिकाकर्ता सं. 2, धर्म से ईसाई, अमेरिकी नागरिक है। वे दोनों दिल्ली में रहते हैं तथा दिल्ली में काम कर रहे हैं।

4. यह याचीगण का मामला है कि वे अपने विवाह को अनुष्ठापित करने एवं विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत इसे पंजीकृत करने का इरादा रखते हैं। हालांकि, याचीगण इस याचिका को दायर करने हेतु विवश है क्योंकि जीएनसीटीडी की वेबसाइट जो विवाहों के पंजीकरण एवं अनुष्ठापन की सुविधा प्रदान करती है, यदि कोई एक पक्षकार भारतीय नागरिक नहीं है तो यह अर्थात् www.edistrict.delhigovt.nic.in ऑनलाइन फॉर्म भरने करने की अनुमति नहीं देती है। निम्नलिखित संदेश के साथ पॉप अप आता है कि कम से कम एक पक्षकार भारतीय होना चाहिए।

"कम से कम एक पक्षकार भारतीय होना चाहिए"

5. याचीगण तब आवश्यक दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी सं. 2 एसडीएम डिफेंस कॉलोनी के कार्यालय जाते हैं। लेकिन एसडीएम ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, याचीगण द्वारा 12 अक्टूबर, 2022 को एक अभ्यावेदन भी दिया गया जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए इस याचिका में अनुरोध है कि याचीगण को व्यक्तिगत रूप से अपने फार्म, दस्तावेज एवं शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाये तथा

याचीगण को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार अपने विवाह को अनुष्ठापित करने एवं पंजीकृत करने की अनुमति दी जाये।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के तहत यह आवश्यक नहीं है कि विवाह करने वाले पक्षकारगण नागरिक होने चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 को ***रिट याचिका (सिविल) 7951/2021 अर्थात् 'आर्यन एरियनफर व अन्य बनाम रा.रा.क्षे. राज्य दिल्ली सरकार व अन्य'*** मामले में पारित एक आदेश पर भरोसा किया है। 'उक्त मामला भी दो विदेशी नागरिकों से संबंधित है जहां न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *"1. <u>**वर्तमान याचिका दो विदेशी नागरिकों द्वारा दायर की गई है**</u> जिनका दावा है कि उनका विवाह का अनुष्ठापन दिनांक 05.04.2021 को नई दिल्ली में हुआ था। याचीगण की शिकायत यह है कि प्रत्यर्थी सं. 2 से उनके बारंबार अनुरोध के बावजूद, उन्हें विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह के पंजीकरण हेतु प्रत्यर्थी सं. 2 से मिलने का समय तक नहीं दिया गया।*
>
> *2. अंतिम तिथि पर, प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था। आज, श्री अग्रवाल का निवेदन है कि <u>प्रत्यर्थीगण अपने ई-पोर्टल में प्रासंगिक परिवर्तन करने की प्रक्रिया में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इसी तरह के अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐसी शिकायतें दर्ज न की जाये।</u> हालांकि, उनका*

कहना है कि उक्त प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है और इसलिए, संशोधित दिशानिर्देश जारी होने तथा ई-पोर्टल पर प्रासंगिक परिवर्तन किए जाने तक याचीगण को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता, जो विस्तारित वीजा पर भारत में रह रहे हैं, अपने देश लौटने के इच्छुक हैं एवं इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रत्यर्थी सं. 2 को निर्देश दिया जाए कि वह उन्हें अपने विवाह के पंजीकरण हेतु प्रत्यर्थीगण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की अनुमति दें।

4. प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता को उक्त अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी सं. 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को उनके विवाह के पंजीकरण की सुविधा हेतु अगले तीन दिनों के भीतर व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट की तिथि बताएं। उक्त सूचना याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को भी प्रेषित की जाए। आशा है कि इस बीच, ***<u>प्रत्यर्थीगण प्रासंगिक दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु शीघ्र कदम उठाएंगे तथा ई-पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करेंगे ताकि विदेशी नागरिक जिनके विवाह दिल्ली में हुए हैं, वे अपने विवाह के पंजीकरण हेतु ई-पोर्टल पर आवेदन कर सकें।</u>***

6. प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाए गए उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान में प्रति शपथ पत्र(ओं) दायर करने की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इस संबंध में उचित निर्देश बाद में पारित किए जाएंगे।"

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि दिनांक 14 जनवरी, 2019 को **भूमिका मोहन जयसिंघानी व अन्य बनाम विवाह पंजीयक व अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 6538** मामले में भी निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्देशित किया:-

> *"16. **प्रत्यर्थीगण को विवाह के पंजीकरण व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में संशोधन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।** जब भी याचीगण या साक्षियों की उपस्थिति के बिना सॉफ्टवेयर को जब भी संशोधित किया जाता है, तो याचीगण के बीच विवाह का विवरण प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दर्ज किया जाएगा।"*

8. न्यायालय के एक प्रश्न पर, भारत संघ के लिए विद्वान सीजीएससी सुश्री निधि रमन ने प्रस्तुत किया कि उन्हें पोर्टल की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जिसे उपरोक्त पारित और उद्धृत किए गए आदेश के संदर्भ में संशोधित किया जाना था। उनका कहना है कि उनके अनुसार न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त परिवर्तनों को शामिल करने की फाइल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

9. ऊपर दिए गए निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थीगण को दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु शीघ्र कदम उठाने होंगे तथा ई-पोर्टल में आवश्यक बदलाव करने होंगे ताकि विदेशी नागरिक जिनके विवाह दिल्ली में अनुष्ठापित

एवं पंजीकृत होने हैं वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें। अधिनियम की धारा 4 इस प्रासंगिक प्रावधान को सक्षम बनाती है। अधिनियम की धारा 4 निम्नानुसार उद्धृत की गई है:

> *"4. विशेष विवाहों के अनुष्ठापन संबंधी शर्तें – **विवाहों के अनुष्ठापन के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्हीं दो व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा,** यदि विवाह के समय निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:-*
>
> *(क) किसी भी पक्षकार का जीवनसाथी जीवित नहीं है;*
>
> *(ख) दोनों पक्षकारों में से --*
>
> *(i) कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ है; या*
>
> *(ii) हालांकि विधिमान्य सहमति देने में सक्षम है, फिर भी वह इस तरह के या इस हद तक चित्त विकार से पीड़ित है कि वह विवाह एवं सन्तानोत्पत्ति हेतु अयोग्य है; या*
>
> *(iii) किसी पक्षकार को बारंबार उन्मत्तता के दौरे पड़ते हो*
>
> *(ग) पुरुष ने इक्कीस वर्ष तथा महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।*
>
> *(घ) पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी न हो:*
>
> *बशर्ते कि जहां पक्षकारों में से कम से कम एक को शाशित करने वाली रूढ़ि उनमें विवाह अनुज्ञात करे तो ऐसे विवाह को*

प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी होते हुए भी अनुष्ठापित किया जा सकेगा; और

(ङ) <u>जहां विवाह जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुष्ठापित किया गया है, वहां दोनों पक्षकार उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवासित भारत के नागरिक हैं</u>।

स्पष्टीकरण.-- इस धारा में, किसी जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के किसी व्यक्ति के संबंध में "रूढ़ि" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी नियम है जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्यों पर लागू होता है:

बशर्ते कि किसी जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्यों के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार संतुष्ट न हो कि--

(i) उन सदस्यों के बीच लंबे समय से इस तरह के नियम का लगातार और एकरूपता से अनुपालन किया जा रहा है;

(ii) ऐसा नियम निश्चित है और अयुक्तियुक्त या लोक नीति विरुद्ध नहीं है; और

(iii) यदि ऐसा नियम केवल एक कुटुंब पर लागू होता है, तो कुटुंब द्वारा इसका अनुपालन बंद नहीं किया गया है।"

10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 का अवलोकन करने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कोई भी दो व्यक्ति अपने विवाह को अनुष्ठापित करने की मांग तब ही कर सकते हैं, जब शर्तें पूरी हो जाती हैं। धारा 4 की उप-धाराएं (क), (ख), (ग) व (घ) नागरिकों को कोई संदर्भ नहीं देती हैं। यह केवल धारा 4 की उप-धारा (ङ) में है, जहां कानून की आवश्यकता है

कि जम्मू और कश्मीर में विवाह के मामले में, दोनों पक्षकारों को भारत का नागरिक होना होगा।

11. विधि ने धारा 4 की उप-धारा (ङ) में 'नागरिकों' के विपरीत, प्रारंभिक भाग में 'किन्हीं दो व्यक्तियों' के बीच अंतर स्पष्ट किया है, यह स्पष्ट है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत कम से कम एक पक्षकार को भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है।

12. राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु दिशा निर्देश निम्नलिखित यूआरएल पर दिए गए हैं:

https://edistrict.delhigovt.nic.in/eDownload/Eligibility/Guideline_9073.pdf

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह की पात्रता मानदंड को स्पष्ट करने वाले उक्त दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

> *"III. आवेदक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह पंजीकरण का हकदार है यदि -*

✓दूल्हा या दुल्हन में से एक पक्ष को भारत का नागरिक होना चाहिए।

✓ विवाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अनुष्ठापित हुआ हो।

✓ विवाह विभिन्न धर्मों के किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संपन्न हुआ हो।

✓ दूल्हे की आयु 21 वर्ष एवं दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। (विवाह की तिथि पर)।

✓ *पंजीकरण के समय किसी भी पक्ष के पास एक से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं हो। कोई भी पक्षकार*

- *चित्त विकृति के परिणामस्वरूप इसकी विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ न हो; या*
- *विधिमान्य सहमति देने में सक्षम होते हुए भी इस तरह के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित हो कि वह विवाह या सन्तानोत्पत्ति हेतु अयोग्य हो; या*
- *किसी पक्षकार को बारंबार उन्मत्तता के दौरे पड़ते हो;*

✓ *पक्षकारगण तब तक प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी के भीतर नहीं हैं जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति न दे।*

✓ *दोनों पक्षकार पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हो।*

✓ *पक्षकारगण विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से ठीक पहले कम से कम तीस दिनों की अवधि हेतु विवाह अधिकारी के दिल्ली के जिले के भीतर रह रहे हों।*

✓ *दोनों पक्षकार (दूल्हा और दुल्हन) दिल्ली के स्थायी निवास का प्रमाण देने वाले तीन गवाहों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, जो विवाह अधिकारी से मिलने के दिन इस प्रकार के विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करेंगे।"*

13. इसलिए, यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया गया है और दिशानिर्देश वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ ऊपर दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत हैं। तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(i) याचीगण को अपेक्षित शुल्क के साथ विवाह के अनुष्ठापन एवं पंजीकरण के लिए अपना फॉर्म जमा करने के लिए दिनांक 17 जनवरी, 2023 को डिफेंस कॉलोनी के एसडीएम से संपर्क करने की अनुमति है।

(ii) एसडीएम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस पर आपत्ति उठाए बिना कार्रवाई करेगा कि किसी एक व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। शेष निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तथा विवाह को विधि के अनुसार अनुष्ठापित एवं पंजीकृत किया जाएगा।

(iii) संबंधित मंत्रालय जीएनसीटीडी के सचिव द्वारा एक स्थिति आख्या अभिलेख पर रखी जाएगी जिसमें दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु उठाए गए कदमों के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम के तहत ई-पोर्टल में आवश्यकताओं को संपादित करने हेतु उठाए गए कदमों का विवरण दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक पक्षकार के नागरिक होने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जाए।

14. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय के निर्देश वर्ष 2019 के हैं, उपरोक्त (iii) निर्देश के अनुपालन का संकेत देने वाली स्थिति आख्या को चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए, जिसमें विफल रहने पर, एक वरिष्ठ अधिकारी जो मामले से अवगत है, आभासी या व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही में शामिल होगा।

15. दिनांक 20 अप्रैल 2023 को सूचीबद्ध किया जाए।

न्या. प्रतिभा एम. सिंह

12 जनवरी, 2023

एमआर/एएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*